दिनांक: 26.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा पशु चोरी के मुकदमें में 20,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये पशु को बेचकर अर्जित किये गये 20,000/- रूपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2024 को वादी श्री सुखपाल पुत्र सुखवीर सिंह निवासी मौ0 नन्दपुरी गली नं0 01 चौधरी निवास वाली गली थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के सुअर (जानवर) बाडा से 03 मादा व 02 नर सुअर (जानवर) चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 142/2024 धारा- 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.08.2024 को **अभियुक्त रिनू उर्फ रंजीत पुत्र ओम प्रकाश निवासी गंगोह रोड लेबर बस्ती के पास नन्दपुरी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बुग्गा उर्फ रामपाल पुत्र दीनानाथ निवासी बस स्टैण् के पास मौहल्ला लाजपतनगर थाना यमुनानगर शहर जनपद यमुनानगर (हरियाणा) मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पशु चोरी के मामले में वांछित चल रहे 20000/- रूपये के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी/**अभियुक्त बुग्गा उर्फ रामपाल पुत्र दीनानाथ निवासी बस स्टैण्ड के पास मौहल्ला लाजपतनगर थाना यमुनानगर शहर जनपद यमुनानगर (हरियाणा)** को दबनि कब्रिस्तान के बराबर मे गौरव चौपडा की फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से सुअर को बेचकर प्राप्त किये गये 20,000/- रूपयें बरामद तथा अभियुक्त के पास बरामद स्कूटी को धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछः-अभियुक्त बुग्गा उर्फ रामपाल ने पूछताछ पर बताया कि मैने अपने साथी रेनू उर्फ रंजीत के साथ मिलकर नन्दपुरी कालौनी से सुखपाल पुत्र सुखबीर सिहं के बाडे से दिनांक 28.04.2024 को रात्री मे 05 सुअर चोरी किये थे जिन्हे हमने हरियाणा मे ले जाकर बेच दिया था मेरे हिस्से मे 70,000 रूपये आये थे जिनमे से मैने 50,000 रूपये खर्च कर दिये है तथा बचे हुए 20,000 रूपयो को आज मै अपने रिश्तेदारो को देने के लिए सहारनपुर आया था कि पुलिस टीम ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

बुग्गा उर्फ रामपाल पुत्र दीनानाथ बाल्मिकी निवासी बस स्टैण्ड के पास मौहल्ला लाजपतनगर थाना यमुनानगर शहर जनपद यमुनानगर (हरियाणा)

बरामदगी का विवरणः-

- 20,000 रूपये (मु0अ0सं0 142/2024 धारा- 380/411 भादवि से सम्बन्धित)

अभियुक्त बुग्गा उर्फ रामपाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 221/19 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 222/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 205/18 धारा 457/380 भादवि थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा
4. मु0अ0स0 264/20 धारा 365 भादवि थाना छप्पर जिला यमुनानगर हरियाणा
5. मु0अ0स0 148/18 धारा 457/380/34 भादवि थाना छाछारौली जिला यमुनानगर हरियाणा
6. मु0अ0स0 126/17 धारा 379 भादवि थाना फरखपुर जिला यमुनानगर हरियाणा
7. मु0अ0स0 135/10 धारा 379 भादवि थाना फरखपुर जिला यमुनानगर हरियाणा
8. मु0अ0स0 142/24 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. म0का0 997 दीपा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 26-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड 01 शातिर गौकश/अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण एवं 01 जिन्दा गौवंश बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध/गौकशी की घटनाओ की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है । पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.09.2024 की रात्रि में मानकी तल्हेडी मार्ग पर गस्त की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मानकी प्रधान के भट्टे वाले रास्ते पर कुछ लोग पैदल-पैदल एक गोवंश को गोकशी के लिये ले जा रहे है सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये गये रास्ते पर भट्टे के समीप कुछ लोग गोवंश के साथ जाते हुए दिखाई दिये । पुलिस टीम अपने प्राइवेट वाहन से जैसे ही उनके करीब पहुँची, तो बदमाशो द्वारा पुलिस को अचानक अपने करीब देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर मानकी के भट्टे की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान **मुजीबुर्रहमान उर्फ छोटा पुत्र जियाउलहक निवासी फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द, सहारनपुर** के रूप में हुई है। गिरफ्तार/घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी देवबन्द में भर्ती कराया गया। अन्य बदमाश/गौकश अँधेरे का फायदा उठाकर ईख के खेतो की तरफ भाग गये। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 जिन्दा गोवंश व गोकशी के उपकरण 01 कुल्हाडी, 01 छुरी, 01 लकडी का गुटका बरामद हुए। फरार बदमाशों की तलाश हेतु काम्बिग की जा रही है। **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 545/24 धारा 3(5), 109 बीएनएस व 3/5/8 गोवध अधिनियम एक्ट व 3/25/27** शस्त्र अधिनियम **पंजीकृत किया गया।** गिरफ्तार/घायल अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्य़वाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

विवरण पूछताछ - अभियुक्त मुजीबुर्रहमान उर्फ छोटा ने उपरोक्त ने बताया कि मै और मेरे साथी रात्रि में आवारा घुमते गौवंशीय पशुओं को पकड लेते है और जंगल में एकान्त स्थान पर ले जाकर गौकशी कर देते है और मांस को आस-पास मुस्लिम बस्तियों में बेच देते है जिससे हम लोगों को अच्छी कमाई हो जाती है। आज रात्रि में मै व मेरे 03 साथी गौकशी करने जा रहे थे। तो रास्ते में मानकी तल्हैडी रोड़ पर पुलिस चैकिंग कर रही थी तो हम लोगों को पुलिस ने रूकने का ईशारा किया तो हमने पकडे जाने के डर से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर वहां से भागने लगे थे तथा पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिग कर हमारा पीछा किया गया था फायरिग मे मेरे दाहिने पैर मे गोली लगने पर मुझे पकड़ लिया गया था तथा मेरे 03 साथी मौके से जंगल व अधेरा का फायदा उठाकर भाग गये थे।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता:-

मुजीबुर्रहमान उर्फ छोटा पुत्र जियाउलहक निवासी फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द, सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 देशी तमन्चा व 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 गोवंश रंग भूरा
- गोकशी के उपकरण (01 कुल्हाडी, 01 छुरी, 01 लकडी का गुटका)।

अभियुक्त मुजीबुर्रहमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 10/19 धारा 323/504/506/354 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 475/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 517/23 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 34/307 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 17/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 499/24 धारा 323/392/504/506 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 545/24 धारा 3(5), 109 बीएनएस व 3/5/8 गोवध अधिनियम एक्ट व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. है0का0 698 सन्दीप भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0का0 902 गोविन्द सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 अरूण सोलंकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. का0 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-25.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा फायरिंग करने के मामलें में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 05 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.2024 को वादी श्री रणधीर कुमार पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बुढेढा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. असमित पुत्र यशबीर निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 2. प्रायांशू पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 3. तुषार पुत्र संजीव निवासी गण ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र विवेक के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने जिससे वादी के पुत्र के बाई जांग मे गोली लगने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 294/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए फायरिंग के मामले में 03 वांछित **अभियुक्तगण 1. असमित पुत्र यशबीर निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 2. प्रायांशू पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 3. तुषार पुत्र संजीव निवासी गण ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम सलेमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 05 जिन्दा/02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उफरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि करीब 6 महीने पहले हम तीनो के साथ विवेक ने अपने साथियो के साथ मिलकर मारपीट की थी इसी बात को लेकर उसी दिन से विवेक के प्रति हमारे मने मे रंजिश थी। हम लोग मौके की तलाश मे थे और हम तीनो ने विवेक को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी लेकिन वह बच गया। विवेक को गोली लगने के बाद हम लोग वहाँ से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. असमित पुत्र यशबीर निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. प्रायांशू पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. तुषार पुत्र संजीव निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. है0का0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. का0 105 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 26.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा पी0सी0आर0 पर लिए गये 02 अभियुक्तो की निशानदेही पर ट्यूबेल मोटर से निकाला गया 10 किलो तांबे का तार की बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पीसीआर पर लिये गये **अभियुक्तगण 1. मोबीन पुत्र जरीफ निवासी छोटा लापरा थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा व 2. अकरम पुत्र मोमीन निवासी छोटा लापरा थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा** की निशानदेही पर थाना सरसावा पर पंजीकृत 05 मुकदमों मे चोरी गया कुल 10 किलो तांबे तार (ट्यूबवेल मोटर का) यमुना किनारे झाडियो से बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अनावरित मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। पीसीआर पर लिए गये अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग नशे के आदी है और अपनी नशे की जरूरतो व अपने शौक पूरा करने के लिए ही ट्यूबवेलो से मोटर चोरी करते है तथा तांबा निकाल कर बेच देते है।

पीसीआर पर अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मोबीन पुत्र जरीफ निवासी छोटा लापरा थाना सदर जिला यमुनानगर (हरियाणा)
2. अकरम पुत्र मोमीन निवासी छोटा लापरा थाना सदर जिला यमुनानगर (हरियाणा)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोबीन , अकरम

1. मु0अ0स0 174/2024 धारा 317(4), 317(5), 318(4), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी
2. मु0अ0स0 178/2024 धारा 303(2) 317(2) BNS थाना सरसावा
3. मु0अ0स0 253/2024 धारा 303(2) 317(2) BNS थाना सरसावा
4. मु0अ0स0 243/2024 धारा 303(2) 317(2) BNS थाना सरसावा
5. मु0अ0स0 264/2024 धारा 303(2) 317(2) BNS थाना सरसावा
6. मु0अ0स0 266/2024 धारा 303(2) 317(2) BNS सरसावा

पीसीआर लेकर माल बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रणवीर चौकी प्रभारी थाना सरसावा स0पुर
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा स0पुर
3. उ0नि0 श्री निप्पी सिंह थाना सरसावा स0पुर
4. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा स0-पुर
5. हैका0 97 अनुराग सिंह थाना सरसावा स0पुर
6. का0 1996 मोहित तोमर थाना सरसावा स0पुर

दिनांक:- 26.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री राजकुमार पुत्र श्री हृदयराम निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाईकिल (स्पलेण्डर प्लस) को चोरी कर ले जाना के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 293/2024 धारा 303(2) बीएनएस तथा दिनांक 01.09.2024 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 टीचर कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा बाबत स्वंय की मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0स0 265/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिलों की बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2024 को सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त की घटना के प्रकाश मे आये अभियुक्त **अक्षित कुमार पुत्र यशपाल गूर्जर निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा सहारनपुर** ग्राम सोहराना के पास से कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही से 02 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर दोनो अभियोगो मे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ। मै अपने खर्चे व नशे की जरुरत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी कर लेता हूँ। दि0 24.09.2024 को नकुड रोड कस्बा सरसावा से एक मोटर साइकिल एव दिनांक 31.08.2024 को टीचर कालोनी से एक मोटर साईकिल में तथा मेरे एक अन्य साथी ने मिलकर चोरी की थी। जिन्हे सही दाम न मिलने के कारण अभी तक बेच नही पाएं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अक्षित कुमार पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकितः-.

मु0अ0स0 47/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- मोटर साईकिल(हीरो स्पलेण्डर)
- 01 मोटरसाईकिल(स्पलेण्डर) रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिहँ थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना सरसावा सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
4. हे0का0 1006 तरूण थाना सरसावा सहारनपुर
5. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांक: 26.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2024 को वादी चांद मिया पुत्र मौ0 असलम निवासी मौ0 मोरी तेलियान देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. गुफरान पुत्र मौहम्मद अख्तर, 2. इस्लाम पुत्र मौहम्मद अख्तर, 3.जाफर पुत्र गुफरान समस्त निवासीगण मौ0 मोरी तेलियान देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर हाल निवासी पठानपुरा आशू पैलेश के पीछे देवबन्द सहारनपुर व 4.ताहिर पुत्र जिन्दा नि0 मौ0 मोरी तेलियान देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा एक किरायानामा वादी को नुकसान पहुँचाने व अपने आपको फायदा पहुँचाने के लिए फर्जी अभिलेख तैयार कराने, असल के रूप में प्रयोग करने, वादी को गाली गलौच कर मारपीट करने व परिवारीजनों को जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 392/2024 धारा 420/467/ 468/471/323/504/506 भादवि के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 26.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे **02 अभियुक्तगण 1. गुफरान पुत्र अख्तर व 2. ताहिर पुत्र जिन्दा निवासी मौ0 मोरीतेलियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को रैती चौक देवबंद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

(1) गुफरान पुत्र अख्तर मौ0 मोरीतेलियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
(2) ताहिर पुत्र जिन्दा निवासी मौ0 मोरीतेलियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री केपी सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 274 रवि कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 26.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 12 बोतल अबैध देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अबैध मादक पदार्थो की तस्करी व इसमें सलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त **अली जान उर्फ जानी पुत्र भूरा निवासी रायपुर, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर** को शाहपुर बांस तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 बोतल अबैध देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामदगी हई ।गिरफ्तारी व बारमदगी के आधार पर अभियुक्त अली जान उर्फ जानी उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0-156/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै हरियाणा से देशी शराब खरीदकर रास्ते पर ट्रक चालको आदि को महगे दामो में बेचकर काफी रुपये कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अली जान उर्फ जानी पुत्र भूरा निवासी रायपुर, थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

12 बोतल अबैध देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 26.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा रंगदारी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.24 को वादी विकास मित्तल पुत्र वीपी मित्तल निवासी जैन डिग्री कालेज रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा अभियुक्त द्वारा रंगदारी कर वादी से अवैध रुप से रुपया माँगना न देने पर हमलावर होकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 521/24 धारा 308(5)/351(2)/131 की बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिह के कुशल नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त सुमित अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल निवासी जैन डिग्री कालेज रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर** को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुमित अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल निवासी जैन डिग्री कालेज रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0स0 42/2016 धारा 304 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. उ0नि0 मोहम्मद जहांगीर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. का0266 धीरज कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 186 विमल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 26.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त अरसद उर्फ छोटा पुत्र नानू ग्राम बुढढाखेडा थाना चिलकाना सहानरनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 एस0टी0 न0 1968/23 मु0अ0स0 104/22 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

अरसद उर्फ छोटा पुत्र नानू ग्राम बुढ्ढाखेडा थाना चिलकाना सहानरनपुर।

अभियुक्त अरसद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0—56/17 धारा 363/366 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—194/17 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0—172/20 धारा147/148/149/307/414/420/456 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0—174/20 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0—199/20 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0—475/20धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0—104/22 धारा 3/5/8 सी0एस0 एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0—196/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर
2. है0का0 436 जाबिर अली थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 26.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी के माध्यम से ठगे गये 03 हजार रूपये कराये गये पीडित के खाते में ठगी गयी शत प्रतिशत धनराशि वापस

अवगत कराना है कि दिनांक13.09.2024 को वादी श्री **रूचिन कश्यप पुत्र देवीचन्द नि0 ग्राम पंचकुआ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन ठगी करके खाते से 3000/-रुपये निकाल लिये थे ।जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा साइबर हैल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत(शिकायत सं0-23109240108733) दर्ज कराई गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर पीडित के रुपये वापस कराने हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना साईबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित **रूचिन कश्यप पुत्र देवीचन्द नि0 ग्राम पंचकुआ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** की आनलाइन ठगी गयी धनराशि पीडित के खाते में वापस कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित के रुपयों को बैक के माध्यम से लीन कराया गया। तत्पश्चात पीडित की शत प्रतिशत धनराशि 3000/- रुपये पीडित के खाते में वापस कराये गये । धनराशी वापस पाकर पीडित द्वारा थाना चिलकाना साइबर हैल्प डैस्क का आभार प्रकट किया गया।

बरामदगी का विवरण-

3000/- रूपये

साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. क0ऑ0 कपिल देव थाना चिलकाना सहारनपुर
4. का0 123 सुधीर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये ।